

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री संजय कुमार पुत्र श्री बनारसीदास
निवासी शिव शक्ति भवन, मुखड़ी माता मन्दिर के पास
दानवाव आबूरोड़ जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 30 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.04.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 16.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सन् 2018 में दानवाव (आबूरोड़) में ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र ब्रह्माकुमारी संस्था के गेट नं. 2 के सामने स्थित प्लॉट नं. 9 पट्टा सं. 15 के कब्जेदार को अतिक्रमी मानते हुए जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति एवं अतिक्रमण हटाने का मौका फर्द रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं अपीलांत को प्लॉट नं. 9 पट्टा सं. 15 के नाम से अतिक्रमण हटाने बाबत जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 16.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सन् 2018 में दानवाव (आबूरोड़) में ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र ब्रह्माकुमारी संस्था के गेट नं. 2 के सामने स्थित प्लॉट नं. 9 पट्टा सं. 15 के कब्जेदार को अतिक्रमी मानते हुए जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति एवं अतिक्रमण हटाने का मौका फर्द रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं अपीलांत को प्लॉट नं. 9 पट्टा सं. 15 के नाम से अतिक्रमण हटाने बाबत जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

